

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून ऊर्जा  
निर्मितीचे नवीन धोरण - २००८ अंतर्गत  
राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणे  
विषयी कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्रमांक : पवन २०१०/प्र.क्र.४६५/ऊर्जा-७,  
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,  
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२  
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०१०.

- घाद्या :- १) शासन निर्णय क्रमांक अपाऊ २००७/प्र.क्र.६९३/ऊर्जा-७, दि.१४ ऑक्टोबर, २००८  
२) शासन निर्णय क्रमांक : पवन-२०१०/प्र.क्र.१३४/ऊर्जा-७, दि.१४ जुलै २०१०.

शासन निर्णय :-

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून ऊर्जा निर्मितीचे नवीन धोरण संदर्भाकित दि.१४.१०.२००८च्या शासन निर्णयाअन्वये जाहीर केले आहे. सदर धोरणाप्रमाणे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून वीज निर्मिती प्रकल्प उभारणेविषयी उपरोक्त दि.१४ जुलै २०१० अन्वये कार्यपध्दती जाहिर करण्यात आली आहे. सदर कार्यपध्दती मधील पवन ऊर्जा प्रकल्प, ऊसाची चिपाळे व कृषि अवशेषांवर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्प, कृषिजन्म अवशेषांपासून वीज निर्मिती प्रकल्प, लघुजल विद्युत निर्मिती प्रकल्पासंदर्भात निर्गमित केलेल्या कार्यपध्दतीमधील संविधता दूर करून खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

| दि.१४ जुलै २०१० च्या शासन निर्णया<br>सोबतच्या कार्यपध्दतीच्या परिशिष्टामधील<br>बराबराचे मुद्दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सुधारणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिशिष्ट - अ - मुद्दा क्रमांक - १०<br>विकासक / प्रकल्पधारक यांच्या नावे<br>प्रकल्पांचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर<br>कागदपत्रांची छाननी महाऊर्जाभाकत करण्यात<br>येईल. सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे व<br>शुल्कासह प्रस्ताव परिपूर्ण असल्यासच<br>महाऊर्जाभाकत मूलभूत सुविधा संमती देण्यात<br>येईल. सदरची संमती प्रदान करण्याचे अधिकार<br>खालीलप्रमाणे असतील-<br>२५ मे. व. क्षमतेपर्यंत (२५ मे. व. सहित) -<br>महासंचालक, महाऊर्जा<br>२५ मे. व. क्षमतेपेक्षा जास्तीचे सर्व प्रकल्प -<br>महाऊर्जा नियामक मंडळ<br>परिशिष्ट - ब - मुद्दा क्रमांक - ११ मधील<br>> तालुका भूमिअभिलेख निरीक्षक यांनी मोजणी<br>करून प्रमाणित केलेल्या जागेच्या नकाशानुसार | विकासक / प्रकल्पधारक यांच्या नावे प्रकल्पांचा मूलभूत<br>सुविधा संमतीसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रांची<br>छाननी महाऊर्जाभाकत करण्यात येईल व प्रस्ताव<br>महासंचालक, महाऊर्जा यांच्याकडून मूलभूत सुविधा<br>संमतीच्या मान्यतेसाठी मा.अध्यक्ष, महाऊर्जा तथा<br>मा.मंत्री, अपारंपरिक ऊर्जा यांच्याकडे सादर करण्यात<br>येईल. त्याअनुषंगाने मूलभूत सुविधा संमतीची मान्यता<br>मा.अध्यक्ष, महाऊर्जा तथा मा.मंत्री अपारंपरिक ऊर्जा<br>यांच्याकडून देण्यात येईल.<br>> पवनऊर्जा प्रकल्प उभारण्याकरिता मूलभूत सुविधा<br>संमतीसाठी, पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमीनीची |


(2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>मायक्रोसायटींग प्लॅन.</p> <p>गाव नमुना नं.७/१२ मध्ये नमूद असलेल्या सर्व सहहिस्सेदारांकडील पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावी.</p> <p>१) हिस्से नमूद असलेला व सर्व सहहिस्सेदारांनी स्वाक्षरीत केलेला समजुतीचा कच्चा नकाशा</p> <p>२) नोटरी अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या समोर केलेले व त्यामध्ये सादर जमिनीच्या चतुःसीमा स्पष्टपणे नमूद असलेले महाऊर्जाचे विहित केलेल्या नमून्यातील संमतीपत्र/ प्रतिज्ञापत्र.</p> <p>३) पवनऊर्जा प्रकल्पाचा मायक्रोसायटींग प्लॅन.</p> <p>► पवनऊर्जा प्रकल्पाची जागा ही नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा पवनऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-वेट), चेन्नई यांनी जाहीर केलेल्या पवनऊर्जा निर्मितीक्षम स्थळाच्या वारामापन केंद्रापासून १० कि.मी.त्रिज्येच्या आत असल्याचे हमीपत्र.</p> <p>► पवनऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी कोणत्या विकासकार्माफत करण्यात येणार आहे त्या कार्यादेशाची प्रत अथवा करारनाम्याची प्रत.</p> <p><b>परिशिष्ट -अ - मुद्दा क्रमांक -१६</b></p> <p>प्रकल्प कार्यान्विततेची संमती : विकासक /प्रकल्पधारक यांना मूलभूत सुविधा संमती मिळाल्यानंतर व प्रकल्पाची संपूर्णरित्या उभारणी झाल्यानंतर महाऊर्जा व महाविद्युतरण /महापारेषण यांचेमार्फत विकासक /प्रकल्पधारक यांचे उपस्थितीत संयुक्त तपासणी करून प्रकल्प उभारणी पूर्ण झाली असल्याची खात्री करण्यात येईल व तसे प्रमाणित केल्यानंतर महाऊर्जांमार्फत पवनऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करणेची संमती देण्यात येईल आणि याचे अधिकार महासंचालक, महाऊर्जा यांना असतील.</p> | <p>► पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या ठिकाणच्या वा-याच्या ऊर्जा घनतेसाठी (WPD) पवनऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, चेन्नई (C-WET) यांच्याकडील Windzone निश्चितीबाबतचे प्रमाणपत्र.</p> <p>► पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकासकाची साहित्यी देणारे पत्र.</p> <p>प्रकल्प कार्यान्विततेची संमती : विकासक /प्रकल्पधारक यांना मूलभूत सुविधा संमती मिळाल्यानंतर व प्रकल्पाची संपूर्णरित्या उभारणी झाल्यानंतर महाऊर्जा अधिकाारी व विकासक /प्रकल्पधारक यांचे उपस्थितीत संयुक्त तपासणी करून प्रकल्प उभारणी पूर्ण झाली असल्याची खात्री करण्यात येईल व तसे प्रमाणित केल्यानंतर महाऊर्जांमार्फत पवनऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करणेची संमती देण्यात येईल आणि याचे अधिकार महासंचालक, महाऊर्जा यांना असतील.</p> |
| <p><b>परिशिष्ट - ब - मूलभूत सुविधा संबंधी -</b></p> <p><b>मुद्दा क्रमांक -१</b></p> <p>उपरोक्तरित्या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्याची खातरजमा झाल्यानंतर विकासक/प्रकल्पधारकास मूलभूत सुविधा संमती महासंचालक, महाऊर्जा यांच्या मान्यतेने देण्यात येईल.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>उपरोक्तरित्या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांची जाणनी मूलभूत सुविधा संमतीसाठी महाऊर्जांमार्फत करण्यात येईल व प्रस्ताव महासंचालक, महाऊर्जा, यांच्याकडून मूलभूत सुविधा संमतीच्या मान्यतेसाठी मा.अध्यक्ष, महाऊर्जा तथा मा.मंत्री, अपारंपारिक ऊर्जा यांच्याकडे सादर करण्यात येईल. त्याअनुषंगाने मूलभूत सुविधा संमतीची जाणता मा.अध्यक्ष, महाऊर्जा तथा मा.मंत्री अपारंपारिक ऊर्जा यांच्याकडून देण्यात येईल.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>परिशिष्ट -क - मूलभूत सुविधा समिती -</b><br/><b>मुद्दा क्रमांक -३</b><br/>उपरोक्तरीत्या प्रकल्पांतर्गत सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्याची खातरजमा झाल्यानंतर विकासक/प्रकल्पधारकास मूलभूत सुविधा समिती महासंचालक, महाऊर्जा यांच्या मान्यतेने देण्यात येईल.</p>                                                                                                                                  | <p>उपरोक्तरीत्या प्रकल्पांतर्गत सर्व आवश्यक कागदपत्रांची छाननी मूलभूत सुविधा समितीसाठी महाऊर्जा मार्फत करण्यात येईल व प्रस्ताव महासंचालक, महाऊर्जा यांच्याकडून मूलभूत सुविधा समितीच्या मान्यतेसाठी मा.अध्यक्ष, महाऊर्जा तथा मा.मंत्री, अपारंपारिक ऊर्जा यांच्याकडे सादर करण्यात येईल. त्याअनुषंगाने मूलभूत सुविधा समितीची मान्यता मा.अध्यक्ष, महाऊर्जा तथा मा.मंत्री, अपारंपारिक ऊर्जा यांच्याकडून देण्यात येईल.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>परिशिष्ट -ड - मूलभूत सुविधा समिती -</b><br/><b>मुद्दा क्रमांक -२</b><br/>महाऊर्जासोबत प्रकल्प विकास करार झाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीत विकासक / प्रकल्पधारकाने आवश्यक ते परवाने संबंधित खात्याकडून प्राप्त करून घ्यावेत. सदर परवाने व आवश्यक कागदपत्रे महाऊर्जा कार्यालयाकडे सादर केल्यानंतर विकासक / प्रकल्पधारकास मूलभूत सुविधा समिती महासंचालक, महाऊर्जा यांच्या मान्यतेने देण्यात येईल.</p> | <p>महाऊर्जासोबत प्रकल्प विकास करार झाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीत विकासक / प्रकल्पधारकाने आवश्यक ते परवाने संबंधित खात्याकडून प्राप्त करून घ्यावेत. सदर परवाने व आवश्यक कागदपत्रांसह महाऊर्जा कार्यालयाकडे मूलभूत सुविधा समितीसाठी प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी महाऊर्जा मार्फत करण्यात येईल व प्रस्ताव महासंचालक, महाऊर्जा यांच्याकडून मूलभूत सुविधा समितीच्या मान्यतेसाठी मा.अध्यक्ष, महाऊर्जा तथा मा.मंत्री, अपारंपारिक ऊर्जा यांच्याकडे सादर करण्यात येईल. त्याअनुषंगाने मूलभूत सुविधा समितीची मान्यता मा. अध्यक्ष, महाऊर्जा तथा मा.मंत्री, अपारंपारिक ऊर्जा यांच्याकडून देण्यात येईल.</p> |

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

  
(सु. दि.पारधी)  
प्रभारी अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निवामक आयोग, मुंबई. (चक्राले)  
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा), म्हाडा कमिश्नरियल कॉम्प्लेक्स,  
त्रिचलनगरसमोर, घेरवडा, पुणे-४११ ००६,  
प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई.  
सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई.  
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई.  
अपर मुख्य सचिव, ( सामान्य प्रशासन विभाग), मंत्रालय, मुंबई.  
अपर मुख्य सचिव ( नियोजन ), मंत्रालय, मुंबई.  
अपर मुख्य सचिव ( महसूल ), मंत्रालय, मुंबई.  
अपर मुख्य सचिव ( धने ), मंत्रालय, मुंबई.  
प्रधान सचिव ( वित्त ), मंत्रालय, मुंबई.

(4)

प्रधान सचिव( उद्योग ), मंत्रालय, मुंबई.

प्रधान सचिव ( आदिवासी ) मंत्रालय, मुंबई.

प्रधान सचिव ( नगरविकास-२ ), मंत्रालय, मुंबई.

सचिव( ग्राम विकास ) मंत्रालय, मुंबई.

सचिव ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई.

खाजगी सचिव, मा. मंत्री( अपाऊ), मंत्रालय, मुंबई.

खाजगी सचिव सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई.

सर्व परवानाधारक कंपन्या.

विकास आयुक्त, ( उद्योग ) उद्योग संचालनालय, नबीन प्रशासन भवन, मुंबई.

मुख्य अभियंता ( विद्युत ) महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रशासकीय इमारत  
३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबरकर मार्ग, चेंबर ( पूर्व), मुंबई-७१.

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, मुंबई-४०० ०५१

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई-४०० ०५१

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई-४०० ०५१

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, मुंबई-४०० ०५१

सर्व मंत्रालयीन विभाग.

ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने.

निवड नस्ती ( ऊर्जा-७ ) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून ऊर्जा निर्मितीचे नवीन धोरण - २००८ अंतर्गत राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणे विषयी कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्रमांक : अजाऊ २०११/प्र.क्र. १२७/ऊर्जा-७,  
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,  
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२  
दिनांक : २९ मार्च, २०११.


- घाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक अजाऊ २००७/प्र.क्र. ६९३/ऊर्जा-७, दि. १४ ऑक्टोबर, २००८  
२) शासन निर्णय क्रमांक : पवन-२०१०/प्र.क्र. १३४/ऊर्जा-७, दि. १४ जुलै २०१०.  
३) शासन निर्णय क्रमांक : पवन-२०१०/प्र.क्र. ४६५/ऊर्जा-७, दि. २८ डिसेंबर, २०१०.

**शासन निर्णय :-**

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून ऊर्जा निर्मितीचे नवीन धोरण संदर्भाकित दि. १४.१०.२००८ च्या शासन निर्णयाअन्वये जाहीर केले आहे. सदर धोरणा प्रमाणे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून धीज निर्मिती प्रकल्प उभारणे विषयी उपरोक्त दि. १४ जुलै २०१० अन्वये कार्यपध्दती जाहिर करण्यात आली आहे. सदर कार्यपध्दतीमधील पवन ऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात निर्गमित केलेल्या कार्यपध्दतीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:-

| तपशील                                                                                                                  | कार्यपध्दती मसुद्यातील अगळावयाच्या मजकूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कार्यपध्दती मसुद्यात समाविष्ट करावयाचा मजकूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिशिष्ट-अ                                                                                                             | पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी कार्यपध्दती.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी कार्यपध्दतीच्या परिच्छेद क्रमांक -११ मध्ये नमूद केलेल्या सादर करावयाच्या कागदपत्रांमधील सुधारणा. | पवनऊर्जा प्रकल्प उभारण्याकरिता मूलभूत सुविधा संभतीसाठी पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनीचे गाव नमुना नं. ७/१२ मध्ये नमूद असलेल्या सर्व सहहिस्संदारांकडील पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावी.<br><br>१) हिस्से नमूद असलेला व सर्व सहहिस्संदारांनी स्वाक्षरीत केलेला समजुतीचा कच्चा नकाशा.<br><br>२) नोटरी अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर केलेले व त्यामध्ये सदर | पवनऊर्जा प्रकल्प उभारण्याकरिता मूलभूत सुविधा संभतीसाठी पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनीचा भूमीअभिलेख खात्याकडील मोजणी नकाशा सादर करणे शक्य नसल्यास सदर जमिनीच्या गाव नमुना नं. ७/१२ मध्ये नमूद असलेल्या प्रकल्पधारकाने पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावी.<br><br>१) पवनऊर्जा प्रकल्पधारकाचा हिस्सा नमूद असलेला आणि प्रकल्प विकासक व प्रकल्पधारकाने स्वाक्षरीत केलेला समजुतीचा कच्चा नकाशा.<br><br>२) सदर जमिनीच्या चतुःसीमा स्पष्टपणे नमूद असलेले व महाऊर्जांने विहित केलेले सोबत |

वेर/पच ३७२० (१५००-३-२०११)



Hon. DG-  
Am (IO) / Am (Pa-2)

2  
30/3/11  
M. Jadhav  
Am (IO)

copy given to Am (IO) / Am (Pa-2)

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>जावनीच्या वसुःसीमा व्दवर्ज मजूर असलेले महाऊर्जाचे विहित केल्या मनुष्यातील समतीपत्र/ प्रतिज्ञापत्र</p> <p>१) पब्लिक प्रकल्पाचा मासिकीसापटींग फ्लॅन.</p>   | <p>जावनीच्या मनुष्यातील प्रकल्पधारक व प्रकल्प विकासक यांचे प्रतिज्ञापत्र.</p> <p>२) पब्लिक प्रकल्पाचा मासिकीसापटींग फ्लॅन.</p> |
| <p>पब्लिक प्रकल्पाच्या ठिकाणच्या जावनीच्या ऊर्जा पब्लिक (WPD) पब्लिक प्रौद्योगिकी केंद्र, चेंबई (C-WET) यांच्याकडील WindZone निश्चितीबाधतचे प्रमाणपत्र.</p> | <p>पब्लिक प्रकल्पाच्या ठिकाणच्या जावनीच्या ऊर्जा पब्लिक (WPD) प्रचलित नियमानुसार जागवपत्र.</p>                                 |

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार हे नावाने,

स्मि.श.रानडे

(स्मि.श.रानडे)

उपसचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग, मुंबई. ( पत्राने )

महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अधिकरण (महाऊर्जा), फ्लाटा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रिडलनगरसमोर, घेरवडा, पुणे-४११ ००६

प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई.

सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई.

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई.

अप्पर मुख्य सचिव, ( सामान्य प्रशासन विभाग), मंत्रालय, मुंबई.

अप्पर मुख्य सचिव ( नियोजन ), मंत्रालय, मुंबई.

अप्पर मुख्य सचिव ( महसूल ), मंत्रालय, मुंबई.

अप्पर मुख्य सचिव ( वने ), मंत्रालय, मुंबई.

प्रधान सचिव ( वित्त ), मंत्रालय, मुंबई.

प्रधान सचिव ( उद्योग ), मंत्रालय, मुंबई.

प्रधान सचिव ( आदिवासी ) मंत्रालय, मुंबई.

प्रधान सचिव ( नगरविकास-२ ), मंत्रालय, मुंबई.

प्रधान सचिव ( ऊर्जा ) मंत्रालय, मुंबई.

सचिव ( ग्राम विकास ) मंत्रालय, मुंबई.

सचिव ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग ), मंत्रालय, मुंबई.

खाजगी सचिव .मा. मंत्री ( अपाऊ ), मंत्रालय, मुंबई.

खाजगी सचिव सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई.

सर्व परवानाधारक कंपन्या.

विकास आयुक्त, ( उद्योग ) उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई.

मुख्य अभियंता ( विद्युत ) महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रशासकीय इमारत

३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर ( पूर्व ), मुंबई-७१.

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, मुंबई-४०० ०५१

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई-४०० ०५१

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई-४०० ०५१

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारंपण कंपनी मर्यादित, मुंबई-४०० ०५१

सर्व मंत्रालयीन विभाग.

सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य.

ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने.

निवृत्त नस्ले ( ऊर्जा-७ ) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२

प्रकल्पधारक माध्याकरिता प्रतिज्ञापत्राचा नमुना.  
(प्रतिज्ञापत्र)

(हफचे १००/- च्या स्टॅम्प वेपरवर कोलेले )  
कार्यकारी व/वा अधिकारी/नोटरी पांचेसबोर  
वय.....वर्ष, राहणार.....

मी श्री/ श्रीमती

आज दिनांक / /२०११ रोजी सत्यप्रतिज्ञेवर कथन करतो /करले की वीजे ..... , तालुका-----  
जिल्हा----- येथील जमीन गट क्रमांक ; सर्व्हे नंबर ..... मधील ..... हेक्टर----- आर क्षेत्र माझ्या  
मालकीचे असून त्यावर महाऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. सदर जमिनीच्या चतुःसीमा माझ्या माहिती व समजुतीनुसार  
खालीलप्रमाणे आहेत.

- पूर्व -
- पश्चिम-
- उत्तर-
- दक्षिण-

वर नमूद चतुःसीमांबाबत माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे कोणताही वाद नाही.त्याचबरोबर या  
चतुःसीमेप्रमाणे त्यामधील क्षेत्राच्या इही भूमी अभिलेख खात्याकडील मोजणीद्वारे निश्चित करून घेण्याची मी हमी देत  
आहे.

वरील चतुःसीमा नमूद असलेल्या क्षेत्राच्या मालकी हक्क/ भाडे करार " आणि हबीबदल देथून पुढे कधीही  
वाद निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी माझी राहिल. तसेच वाद निर्माण झाल्यास त्याचे निराकरण संबंधितांच्या  
सहमतीने मी करण्यास तयार आहे. आवश्यक कायदेशीर पूर्तता करून सदर वादाची कोणतीही तोवीस वा झळ  
महाऊर्जास व संबंधितांना लागू देणार नाही.

त्याचबरोबर प्रकल्प उभारावयाच्या जमिनीसंदर्भात भविष्यामध्ये कोणत्याही स्वरुपाचा वाद निर्माण झाल्यास  
त्याची सर्वस्वी जबाबदारी माझी राहिल आणि त्या वादाचे निराकरण महाऊर्जास/ संबंधितांस कोणतीही तोवीस लागू न  
देता मी करून देण्यास तयार आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे सदरचे प्रतिज्ञापत्र मी लिहून दिले आहे. त्यासाठी माझ्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव  
टाकण्यात आला नाही. वर नमूद केलेली सर्व माहिती मजकूर माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे खरी व बरोबर असून  
त्याप्रमाणे अनुपालन करण्यात येईल. सदर माहिती खोटी व चुकीची असल्याचे सिध्द झाल्यास मी कायदानुसार  
होणाऱ्या शिक्षेस/ दंडास पात्र राहीन.

ओळख

प्रतिज्ञापत्र करणार-

सही-

दिनांक

( टीप- \* लागू असेल ते ठेवावे)

प्रतिज्ञापत्र-१

प्रकल्प विकासक प्राध्यापिका प्रतिज्ञापत्राचा नमुना.

( प्रतिज्ञापत्र )

(रुपये १००/- च्या व्हॅल्यू पेपरवर केलेले )

कार्यकारी वंडाधिकारी/मोटररी पांचेसबोर

मी श्री/ श्रीमती

वय.....वर्षे; राहणार..... प्राधिकृत प्रतिनिधी, .....

प्रकल्प विकासक/ कंपनी प्राध्यापक

आज दिनांक / /२०११ रोजी जवळप्रतिशेवर कथन करतो /करते की मीजे , तालुका----  
जिल्हा----- येथील जमीन गट क्रमांक : सर्व्हे वखर , ..... नधील , ..... हेक्टर----- आर क्षेत्र माझ्या  
मालकीचे असून त्यावर पब्लिकर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. सदर जमिनीच्या चतुःसीमा माझ्या माहिती व समजुतीनुसार  
खालीलप्रमाणे आहेत.

पूर्व -

पश्चिम-

उत्तर-

दक्षिण-

वर नमूद चतुःसीमांबाबत माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे कोणताही वाद नाही.त्याचबरोबर या  
चतुःसीमेप्रमाणे त्यामधील क्षेत्राच्या हद्दी भूमी अभिलेख खात्याकडील नोंदणीव्दारे निश्चित करून घेण्याची मी हमी देत  
आहे.

वरील चतुःसीमा नमूद असलेल्या क्षेत्राच्या मालकी हक्क/ भाडे करार \* आणि हद्दीबद्दल येथून पुढे कधीही  
वाद निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी माझी राहिल. तसेच वाद निर्माण झाल्यास त्याचे निराकरण संबंधितांच्या  
सहमतीने मी करण्यास तयार आहे. आवश्यक कायदेशीर पूर्तता करून सदर वादाची कोणतीही तोषीस वा झळ  
महाकर्जास / संबंधितांना लागू देणार नाही.

त्याचबरोबर प्रकल्प उभारावयाच्या जमिनीसंदर्भात भविष्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा वाद निर्माण झाल्यास  
त्याची सर्वस्वी जबाबदारी माझी राहिल आणि त्या वादाचे निराकरण महाकर्जास/ संबंधितांस कोणतीही तोषीस लागू न  
देता मी करून देण्यास तयार आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे सदरचे प्रतिज्ञापत्र मी लिहून दिले आहे. त्यासाठी माझ्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव  
टाकण्यात आला नाही. वर नमूद केलेली सर्व माहिती मजकूर माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे खरी व बरोबर असून  
त्याप्रमाणे अनुपालन करण्यात येईल. सदर माहिती खोटी व चुकीची असल्याचे सिद्ध झाल्यास मी कायदानुसार  
होणाऱ्या शिक्षेस/ वंडास पात्र राहीन.

ओळख

प्रतिज्ञापत्र करणार-

सही-

दिनांक

( टीप-\* लागू असेल तं ठेवावे)